मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः 09.02.2026

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत NDPS Act. के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गयी 45 दिन का कठोर कारावास व ₹ 5500/- के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत "पीयूष मोर्डिया" अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन में, "आर.पी.सिंह" पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में "अपर्णा रजत कौशिक" पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है।

उक्त अभियान के क्रम में थाना अदलहाट पर NDPS Act. से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। अभियोजन अधिकारी-श्रीधर पाल, विवेचक- उप निरीक्षक नूरूल हसन, पैरोकार-आरक्षी प्रदीप सिंह व कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी आशुतोष चन्द्र व धर्मेन्द्र तिवारी द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश-शबीह जेहरा द्वारा थाना अदलहाट पर पंजीकृत मु0अ0सं0 -848/2009 धारा 8/22 NDPS Act से संबंधित अभियुक्त राजकुमार सिंह उर्फ बब्लु सिंह उर्फ विपिन सिंह पुत्र जंगबहादुर सिंह निवासी गेराई थाना गोपीगंज जनपद भदोही को 45 दिन का कठोर कारावास व ₹ 5500 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 11 दिवस के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

****